मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 3–06/2015/10–1 :: श्री सुरेश चन्द पाण्डे, सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल द्वारा आवेदन दिनांक 30.07.2020 में लेख किया है कि उनके विरूद्ध प्रकरण में क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया के आदेश क्रमांक/स्था/452 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा आरोप पत्र समाप्त किया गया। प्रकरण का निराकरण होने पर उन्हें उनका बन्द लिफाफा खोलकर सहायक वन संरक्षक के पद पर कनिष्ठ के दिनांक से पदोन्नति का लाभ देने का अनुरोध किया है।

2/ प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रकरण का सार यह है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2015 में श्री सुरेश चन्द पाण्डे, वन क्षेत्रपाल के विरूद्ध क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया के पत्र दिनांक 10.9.2013 से आरोप पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने इनके सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी थी। श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे के विरूद्ध जारी आरोप पत्र क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया के आदेश कमांक 452, दिनांक 11.8.2015 से समाप्त किया गया है।

3/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के बिंदु के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के अनंतिम आदेश के बंद लिफाफा खोलने के प्रकरणों में प्रभाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में यह व्यवस्था दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के पूर्व पदोन्नति के जिन प्रकरणों में बंद लिफाफा रखा गया है उन्हें खोलकर समुचित आदेश करने में कोई त्रुटि नहीं है।

4/ श्री सुरेश चन्द पाण्डे, के बन्द लिफाफा खोलने के प्रकरण के संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. अवमानना याचिका क्रमांक 895/2016 श्री अशोक कुमार सक्सेना विरूद्ध श्री एस.एन. मिश्रा एवं अन्य में आदेश दिनांक 20.02.2017 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा संदर्भित किया है कि **"The promotion of the petitioner is to be considered from the date of that DPC for which his report was kept in a sealed cover, and therefore, if there is a stay of Apex Court relating to promotion on the basis of reservation then that stay will not effect the matter of the petitioner which was dependent upon the DPC of the past years."**
   माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत श्री इन्दरपाल यादव व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1985) एम.सी.सी. 648 में इस अभिनिर्धारित को संदर्भित किया है कि **"यदि कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं आता है तो भी उसे समान प्रकरण में अन्य लोगों को प्रदान किये गये अनुतोष से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।"** उक्त न्याय दृष्टांत को पुनः कालूराम नरवरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2015(3) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 132 में मान्य किया गया है।
2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास ने श्री ए.के. खन्ना बनाम भारत संघ ए.टी.आर. 1988(2) कैट 518 में अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ ने अभिनिर्धारण को संदर्भित किया है कि **"समान स्थिति के व्यक्तियों को समान लाभ न देने से विभेद होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन होगा। प्रत्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे**

विभाग को निर्देशित करे कि न्यायालयों एवं अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय जो अंतिम रूप को पहुँच चुके हैं, के लाभ समान स्थिति वाले सेवकों को भी दे और उनमें से किसी को भी अधिकरण से दुखों के निवारण हेतु आने पर बाध्य न करें।"

5/ उक्त न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखकर श्री सुरेश चन्द पाण्डे, वनक्षेत्रपाल (वरीयता कमांक–81) के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.6.2015 में समिति का अनुशंसित बंद लिफाफा खोला गया व उन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाया है।

6/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सुरेश चन्द पाण्डे, सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल को, राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक संवर्ग में कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100+ ग्रेड पे 5400 में वनक्षेत्रपाल संवर्ग में उनसे कनिष्ठ वनक्षेत्रपाल श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला (वरीयता कमांक 82) को, सहायक वन संरक्षक के पद पर आदेश दिनांक 09.07.2015 से प्रदान की गई पदोन्नति दिनांक से सहायक वन संरक्षक के पद पर **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** के सिद्धान्त के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है तथा श्री सुरेश चन्द पाण्डे की सहायक वन संरक्षक संवर्ग में वरिष्ठता श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के ठीक ऊपर निर्धारित करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–06/2015/10–1 भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन। एवं ।।) म.प्र., भोपाल।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया।
7. संबंधित अधिकारी श्री सुरेश चन्द पाण्डे, सेवानिवृत्त वन क्षेत्रपाल, रमानिकेतन निकट पी. ए.सी., सम्राट नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश पिन कोड 229001, मोबाईल नम्बर 9424311551
8. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 4/8/ 2020

क्रमांक एफ 3–48/2012/10–1: श्री आसिफ मोहम्मद खान, सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल, भोपाल द्वारा एक आवेदन दिनांक 10.02.2020 प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध विभागीय जॉच प्रकरण शासनादेश दिनांक 04.02.2020 द्वारा समाप्त करने तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति का बंद लिफाफा खोलकर सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति करने तथा वरीयता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2/ प्रकरण में विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा श्री आसिफ मोहम्मद खान के विरूद्ध शासनादेश दिनांक 04.02.2020 द्वारा विभागीय जांच प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त होने तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2012 में समिति के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु लेख किया है।

3/ प्रकरण का परीक्षण किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2012 में श्री आसिफ मोहम्मद खान, वनक्षेत्रपाल के नाम पर विचार किया गया था। तत्समय श्री खान के विरूद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश क्रमांक 61 दिनांक 10.05.2010 से निलंबित तथा पत्र क्रमांक 2379 दिनांक 21.06.2010 से आरोप पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी गई थी।

4/ राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 9–13/2016/10–1 दिनांक 04.02.2020 द्वारा श्री आसिफ मोहम्मद खान के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 21.06.2010 से संबंधित विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त की गयी।

5/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के बिंदु के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के अनंतिम आदेश के बंद लिफाफा खोलने के प्रकरणों में प्रभाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक प्रकरणों में यह व्यवस्था दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश के पूर्व पदोन्नति के जिन प्रकरणों में बंद लिफाफा रखा गया है उन्हें खोलकर समुचित आदेश करने में कोई त्रुटि नहीं है।

6/ उक्त के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री कुशल सिंह गौतम के प्रकरण में बंद लिफाफा खोलकर दिनांक 25.08.2018 को पदोन्नति दी है। उक्त प्रकरण को उदाहरण मानकर विभागीय आदेश दिनांक 27.02.2019 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता का बंद लिफाफा खोलकर वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। इसी प्रकार श्री बी.के.सनाढ्य के प्रकरण में भी बंद लिफाफा खोलकर पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं।

7/ श्री आसिफ मोहम्मद खान, का प्रकरण श्री कुशल सिंह गौतम, श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता एवं श्री बी.के.सनाढ्य के प्रकरण के समान है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. अवमानना याचिका क्रमांक 895/2016 श्री अशोक कुमार सक्सेना विरूद्ध श्री एस.एन. मिश्रा एवं अन्य में आदेश दिनांक 20.02.2017 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा संदर्भित किया है कि "**The promotion of the petitioner is to be considered from the date of that DPC for which his report was kept in a sealed cover, and therefore, if there is a stay of Apex Court relating to promotion on the basis of reservation then that stay will not affect the matter of the petitioner which was dependent upon the DPC of the past years.**"
   माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत श्री इन्दरपाल यादव व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1985) एम.सी.सी. 648 में इस अभिनिर्धारित को संदर्भित किया है कि "**यदि कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं आता है तो भी उसे समान प्रकरण में अन्य लोगों को प्रदान किये गये अनुतोष से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।**" उक्त न्याय दृष्टांत को पुनः कालूराम नरवरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2015(3) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 132 में मान्य किया गया है।
2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास ने श्री ए.के. खन्ना बनाम भारत सं. ए.टी.आर. 1988(2) कैट 518 में अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ ने अभिनिर्धारण को संदर्भित किया है कि "**समान स्थिति के व्यक्तियों को समान लाभ न देने से विभेद होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन होगा। प्रत्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे विभाग को निर्देशित करे कि न्यायालयों एवं अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय जो अंतिम रूप को पहुँच चुके हैं, के लाभ समान स्थिति वाले सेवकों को भी दे और उनमें से किसी को भी अधिकरण से दुखों के निवारण हेतु आने पर बाध्य न करें।**"

8/ श्री आसिफ मोहम्मद खान, वनक्षेत्रपाल (वरीयता कमांक–48) के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.6.2012 में समिति का अनुशंसित बंद लिफाफा खोला गया व उन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाया गया है।

9/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आसिफ मोहम्मद खान, सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल को राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600–39100+5400 ग्रेड पे में दिनांक 25.06.2012 से सहायक वन संरक्षक के पद पर "**कार्य नहीं वेतन नहीं**" के सिद्धान्त पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है तथा श्री आसिफ मोहम्मद खान की सहायक वन

संरक्षक संवर्ग में वरिष्ठता श्री व्ही.के.शुक्ला, सहायक वन संरक्षक के ठीक उपर निर्धारित करता है।

10/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति की प्रविष्टि नहीं की गयी है क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम 2002 अस्तित्व में नहीं है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–48/2012/10–1 भोपाल, दिनांक 4/8/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1. महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन। एवं ।।) म.प्र., भोपाल।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल।
6. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. संबंधित अधिकारी श्री आसिफ मोहम्मद खान,सेवा निवृत्त वनक्षेत्रपाल निवासी बी–07, कोहफिजा भोपाल ।
8. गार्ड फाइल।

APCCF(A1)AII

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्र. मु. व. सं. (वन बल प्रमुख) म. प्र. भोपाल

4316
6-8-20

APCCF (Admn.-II)
M.P., BHOPAL

495
7/8/2020

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 5 मार्च, 2020

क्रमांक एफ 3–6/2015/10–1 :: वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2015 में श्री बी.के. सनाढ्य, वन क्षेत्रपाल (विचारण क्षेत्र की सूची का सरल क्रमांक–21 पदक्रम सूची वर्ष 2014 में वरीयता क्रमांक 25) के नाम पर विचार किया गया था, तत्समय श्री सनाढ्य के विरूद्ध मुख्य वन संरक्षक, सागर के आदेश क्रमांक 275 दिनांक 31.11.2008, आदेश क्रमांक 41 दिनांक 06.03.2009 एवं आदेश क्रमांक 91 दिनांक 25.06.2009 द्वारा विभागीय जांच प्रचलित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री सनाढ्य के प्रकरण में अपनी अनुशंसा सील बंद लिफाफे में रखी थी।

2/ श्री बी.के. सनाढ्य के विरूद्ध उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण क्रमशः राज्य शासन के आदेश दिनांक 26.05.2018, आदेश दिनांक 20.02.2019 एवं आदेश दिनांक 24.06.2019 द्वारा बिना किसी दण्ड के नस्तीबद्ध करते हुये समाप्त किये गये तथा श्री सनाढ्य के विरूद्ध कोई दण्ड प्रभावशील नहीं होने के कारण विभागाध्यक्ष ने विभागीय पदोन्नति समिति की बंद लिफाफे की अनुशंसा खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पदोन्नति में आरक्षण के बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन के कारण श्री सनाढ्य का बंद लिफाफा खोलने की कार्यवाही लंबित रखी गई थी।

3/ श्री बी0के0 सनाढ्य, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपने आवेदन दिनांक 27.06.2019 में यह लेख किया है कि उनके विरूद्ध उपरोक्त तीनों विभागीय जॉच प्रकरण प्रचलित होने के कारण वर्ष 2015 से पदोन्नति हेतु लिफाफा बंद है। उक्त तीनों विभागीय जांच प्रकरण में शासनादेश द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त करने के फलस्वरूप उन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत कर अन्यत्र स्थानांतरण करने का अनुरोध किया है।

4/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2015 जिसमें श्री सनाढ्य के संबंध में समिति ने अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी है, उसी बैठक में श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता की भी अनुशंसा समिति ने बंद लिफाफे में रखी थी। श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता के प्रकरण के संबंध में बंद लिफाफा खोलकर श्री गुप्ता को विभागीय आदेश दिनांक 27.02.2019 द्वारा वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। श्री गुप्ता के प्रकरण में श्री कुशल सिंह गौतम के प्रकरण के उदाहरण के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है। श्री कुशल सिंह गौतम के प्रकरण की वस्तुस्थिति आगे कंडिकाओं में दी गई है।

5/ श्री कुशल सिंह गौतम के प्रकरण में भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री गौतम के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही के कारण पदोन्नति समिति की अनुशंसा सील बंद लिफाफे में रखी गई थी। श्री गौतम के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही बिना दण्ड के समाप्त की गई तथा श्री गौतम के पदोन्नति हेतु अभ्यावेदन पर संनिष्ठा प्रमाणित करते हुये जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई। तत्समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के बिंदु पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्णय के कारण श्री गौतम के प्रकरण से संबंधित पदोन्नति की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी।

6/ श्री कुशल सिंह गौतम, तहसीलदार ने पदोन्नति नहीं होने के कारण उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में रिट पिटिशन क्रमांक 45/2017 दायर की जिसमें माननीय न्यायालय में निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

In the present case the petitioner was considered by the DPC and based upon the recommendation of the same DPC, as many as 38 Tehsildars have been posted as Dy. Collector. The order of status quo will not come in the way of the petitioner as in the case of the petitioner the issue of reservation is not involved at all. It is a case of opening of the sealed cover and, therefore, in the considered opinion of this Court the writ petition deserves to be allowed and is accordingly allowed.

The respondents are directed to open the recommendation of the DPC, within a period of 30 days from today. The writ petition stands allowed with the following directions :-

a. The respondents shall open the sealed cover within a period of 30 days from today and shall also pass an appropriate consequential order based upon the recommendation within the aforesaid period.
b. The writ petitioner shall also be entitled for backwages, seniority and all other consequential benefits by treating him at par with his juniors, in case he is found fit by DPC for promotion.
c. Exercise fo granting consequential benefits, in case promotion order is issued in respect of the petitioner, be concluded within a period of 90 days from the date of receipt of certified copy of this order.

7/ श्री कुशल सिंह के प्रकरण में न्यायालय के उक्त निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभा . का अभिमत चाहा गया था जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने न्यायालयीन निर्णय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभिमत दिया जाना वर्जित है प्रशासकीय विभाग स्वयं उचित निर्णय लेने का लेख किया है। श्री गौतम के प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, जबलपुर के अभिमत के आधार पर रिट अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारोपरांत निर्णय दिया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नानुसार है :–

The only contention of the appellants/State is that the Hon'ble Supreme Court of India in the case of State of M.P. and others V/s. R.B. Rai and others has granted an order of status quo,the question of opening the sealed cover does not arise. Considering the aforesaid, we are of the view that learned Writ Court has not committed any lega error in passing the orer to open the sealed cover and passed an appropriate order. No case to interfere in the impugned order is made out. This appeal has on merit and is accordingly dismissed in limine.

8/ रिट अपील खारिज होने के बाद श्री गौतम के प्रकरण में शासकीय महाधिवक्ता, जबलपुर के अभिमत के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.05.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

Delay condoned. We find no reason to entertain this special leave petition, which is, accordingly, dismissed.

9/ उक्त माननीय न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री कुशल सिंह गौतम, तहसीलदार का पदोन्नति समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया तथा श्री गौतम को उनके कनिष्ठ के पदोन्नति दिनांक से उप जिलाध्यक्ष के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 द्वारा पदोन्नत किया गया है।

10/ दस्तावेजों एवं माननीय न्यायालय के ऊपर उल्लेखित निर्णयों तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.08.2018 एवं जितेन्द्र कुमार गुप्ता के प्रकरण के आधार पर श्री सनाढ्य का प्रकरण राजस्व विभाग के तहसीलदार श्री कुशल सिंह गौतम के प्रकरण के समान होने के कारण एवं यद्यपि श्री गौतम के आदेश में यह लेख है कि इस आदेश को किसी अन्य प्रकरण में पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा परन्तु विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि राज्य अपने समस्त नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अवसर प्रदान करेगा इसको ध्यान में रखते हुये श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता का बंद लिफाफा खोलकर उन्हें पदोन्नति दी गई है।

11/ श्री बी.के. सनाढ्य का प्रकरण श्री कुशल सिंह गौतम एवं श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता के प्रकरण के समान है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. अवमानना याचिका क्रमांक 895/2016 श्री अशोक कुमार सक्सेना विरूद्ध श्री एस.एन. मिश्रा एवं अन्य में आदेश दिनांक 20.02.2017 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा संदर्भित किया है कि "The promotion of the petitioner is to be considered from the date of that DPC for which his report was kept in a sealed cover, and therefore, if there is a stay of Apex Court relating to promotion on the basis of reservation then that stay will not effect the matter of the petitioner which was dependent upon the DPC of the past years."
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत श्री इन्दरपाल यादव व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1985) एम.सी.सी. 648 में इस अभिनिर्धारित को संदर्भित किया है कि "यदि कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं आता है तो भी उसे समान प्रकरण में अन्य लोगों को प्रदान किये गये अनुतोष से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।" उक्त न्याय दृष्टांत को पुनः कालूराम नरवरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2015(3) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 132 में मान्य किया गया है।
3. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास ने-श्री ए.के. खन्ना बनाम भारत संघ ए.टी.आर. 1988(2) कैट 518 में अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ ने अभिनिर्धारण को संदर्भित किया है कि "समान स्थिति के व्यक्तियों को समान लाभ न देने से विभेद होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन होगा। प्रत्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे विभाग को निर्देशित करे कि न्यायालयों एवं अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय जो अंतिम रूप को पहुँच चुके हैं, के लाभ समान स्थिति वाले सेवकों को भी दे और उनमें से किसी को भी अधिकरण से दुखों के निवारण हेतु आने पर बाध्य न करें।"

12/ उपरोक्त न्याय दृष्टांतों एवं दस्तावेजों के आधार पर श्री बी.के. सनाढ्य, वनक्षेत्रपाल के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.6.2015 में समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया व उन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाया गया है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी.के. सनाढ्य, वनक्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल संवर्ग में उनसे कनिष्ठ श्री वाय.पी. वर्मा (वरीयता क्रमांक 26) के सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 09.07.2015 से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में "**कार्य नहीं वेतन नहीं**" के सिद्धांत के आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है। श्री बी.के. सनाढ्य को पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से सहायक संचालक, कुसमी उप वनमण्डल, संजय टाईगर रिजर्व, सीधी के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

13/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति की प्रविष्टि नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम, 2002 अस्तित्व में नहीं है।

14/ पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

15/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा भर्ती नियम, 1977 के अंतर्गत दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1 भोपाल,दिनांक 5 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ।।) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व, सीधी।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी वन मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
7. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
9. संबंधित अधिकारी श्री बी.के. सनाढ्य, द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक,(प्रशा.- ।) मध्यप्रदेश भोपाल।
10. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

APCCF(A-II)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्र. मु. व. सं.
(वन बल प्रमुख)
म.प्र. भोपाल
06/3/2020

1852
06-3-2020

APCCF (Admn.-II)
M.P., BHOPAL

216
7-3-2020